राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक :–रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2025 / 5001 दिनांक :– 16.10.2025

–: संशोधित विज्ञप्ति :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में नवसृजित / रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2025 / 4880 दिनांक 20.09.2025 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

जिसके क्रम में खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1)खा.वि. / विधि / 08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100 / – रूपये) आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र **संशोधित दिनांक 24.10.2025 से 12.11.2025 तक सांय 06:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते **है। आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2025 तक सांय 06:00 बजे तक** निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। नवसृजित / रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 स0	तहसील	ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम	विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	संगरिया	बोलावाली (नवसृजित)	1	महिला
2	संगरिया	लीलावाली (नवसृजित)	1	सामान्य
3	संगरिया	रतनपुरा (नवसृजित)	1	महिला
4	संगरिया	हरिपुरा (नवसृजित)	1	सामान्य
5	संगरिया	भाखरा वाली (नवसृजित)	1	सामान्य
6	भादरा	चिड़िया गान्धी (रिक्त)	1	सामान्य
7	भादरा	मुन्दड़िया बड़ा (रिक्त)	1	सामान्य
8	भादरा	जनाना (रिक्त)	1	सामान्य
9	भादरा	बिरान (रिक्त)	1	सामान्य
10	भादरा	करणपुरा (रिक्त)	1	महिला
11	भादरा	वार्ड 19 ए (पुराना) नगरपालिका भादरा (रिक्त)	1	सामान्य
12	भादरा	वार्ड 17 (पुराना) नगरपालिका भादरा (रिक्त)	1	महिला
13	हनुमानगढ़	वार्ड 19 (पुराना) नगरपालिका हनुमानगढ़ (रिक्त)	1	सामान्य
14	हनुमानगढ़	वार्ड 1 (पुराना) नगरपालिका हनुमानगढ़ (रिक्त)	1	महिला
15	हनुमानगढ़	गाहड्ड, ग्रा.पं. ज्वालासिंहवाला (रिक्त)	1	महिला
16	हनुमानगढ़	अराईयांवाली (रिक्त)	1	सामान्य
17	नोहर	दुर्जाना, ग्रा.पं. मेधाना (रिक्त)	1	सामान्य
18	नोहर	बालासर, ग्रा.पं. टिडियासर (रिक्त)	1	महिला
19	नोहर	पाण्डूसर (रिक्त)	1	सामान्य

क्र0 स0	तहसील	ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम	विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
20	पीलीबंगा	वार्ड 8 (पुराना) नगरपालिका पीलीबंगा (रिक्त)	1	सामान्य
21	पीलीबंगा	गोलूवाला निवादान (रिक्त)	1	महिला
22	पीलीबंगा	6 एचएलएम, ग्रा.पं. जाखड़ावाली (रिक्त)	1	सामान्य
23	पीलीबंगा	सुंदर सिंह वाला, ग्रा.पं. सरावांवाला (रिक्त)	1	सामान्य
24	पीलीबंगा	वार्ड 19 (पुराना) नगरपालिका पीलीबंगा (रिक्त)	1	सामान्य
25	रावतसर	वार्ड 5 (पुराना) नगरपालिका रावतसर (रिक्त)	1	सामान्य
26	रावतसर	वार्ड 10 (पुराना) नगरपालिका रावतसर (रिक्त)	1	सामान्य
27	रावतसर	सरदारपुरा (रिक्त)	1	सामान्य
28	रावतसर	पोहडका (रिक्त)	1	सामान्य
29	रावतसर	वार्ड 16 (पुराना) नगरपालिका रावतसर (रिक्त)	1	सामान्य
30	रावतसर	गन्धेली (रिक्त)	1	महिला
31	रावतसर	4 सी.वाई.एम. (रिक्त)	1	महिला
32	रावतसर	खेदासरी (रिक्त)	1	सामान्य
33	संगरिया	बोलांवाली (रिक्त)	1	सामान्य
34	संगरिया	ढानी बखतावर, ग्रा.पं. नाथवाना (रिक्त)	1	सामान्य
35	संगरिया	वार्ड 21 (पुराना) नगरपालिका संगरिया (रिक्त)	1	सामान्य
36	संगरिया	चक हीरासिंहवाला (रिक्त)	1	महिला
37	संगरिया	वार्ड 12 (पुराना) नगरपालिका संगरिया (रिक्त)	1	सामान्य
38	संगरिया	वार्ड 25 (पुराना) नगरपालिका संगरिया (रिक्त)	1	महिला
39	संगरिया	वार्ड 2 (पुराना) नगरपालिका संगरिया (रिक्त)	1	सामान्य
40	नोहर	धानसिया, ग्रा.पं. धानसिया	1	सामान्य
41	नोहर	ग्राम सवरूपदेसर, ग्रा. पं. मालासर	1	महिला
42	नोहर	ग्राम ललाना बास श्योपुरा, ग्रा.पं. ललाना बास उतराधा	1	सामान्य
43	रावतसर	2 एनजीएम (चक बांवरियों वाला), ग्रा.पं. 99 आरडी	1	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि / विधि / 08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019, 26.12.2019, 25.11.2020 और पत्रांक एफ17(4)खा.वी. / न्याय / 2025 राजकाज रेफरेन्स संख्या 15223120 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र क्रमांक दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट https://food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

क्रमांक :–सम / 2025/8001 दिनांकः– 16.10.2025

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय केबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
5. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. ए.सी.पी. / प्रोग्रामर खाद्य विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत्।
7. माननीय सांसद महोदय जिला गंगानगर / बीकानेर।
8. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र भादरा / हनुमानगढ़ / नोहर / पीलीबंगा / संगरिया।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़।
10. उपखण्ड अधिकारी (समस्त), जिला हनुमानगढ़।
11. विकास अधिकारी, (समस्त), जिला हनुमानगढ़।
12. ए0सी0पी0, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हनुमानगढ़ को जिले की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ़।
14. उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

आवेदक की योग्यताएँ एवं शर्तें :–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम फोटो लगा होगा तथा एक फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से जारी किये जायेगें। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रू. निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी. अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगें।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।** (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)
3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रषिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक समितियां/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कम्प्यूटर प्रषिक्षण सम्बन्धी शिथिलता विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2020 के तहत प्रदान की जावेगी।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 50/– रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 2 से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् 2 से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्षे में प्रस्तावित दुकान के आगे–पीछे व दायें–बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहूंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट को होना आवश्यक है।
8. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी **न्यूनतम 100000/– रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)।

9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।

चयन के प्राथमिकता क्रम :–

प्रथम वरियता :–

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह" जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो

(iii) निगमित निकाय/ग्राम पंचायत।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेषक/सहायक निदेषक, महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेषक/सहायक निदेषक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक सहकारी समितियां हैं जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजींकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंष पूंजी विवरण, कार्यषील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राषि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिषंषा संलग्न करनी होगी।

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत :–

(प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःषक्त जन (2) महिलाएँ(i)शहीद की विधवा (वीरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक (4) अन्य पात्र बेरोजगार

- निःषक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र बेरोजगार को एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवष्यक होगी।

10. द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

11. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगें।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक17.03.2016 और समय–समय पर जारी संषोधनआदेष दिनांक 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019, 26.12.2019 और 25.11.2020 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों कें आवंटन के दिशा निर्देषों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र क्रमांक दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संषोधन आदेश के संबंध में विस्तृतजानकारी विभागीय वेबसाईट https://food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़